

प्रेस-विज्ञप्ति

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे वांछित /अवैध असलहा/ गैगैस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी अभियान के क्रम में विभिन्न थानों द्वारा किये गये सराहनीय कार्यों का विवरण-

थाना-सरायमीर

पुलिस मुठभेड़ एक अवैध तमन्चा व 01 खोखा कारतूस के साथ एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 10.11.2020 को उ0 नि0 श्री विपिन कुमार सिंह व उ0नि0 श्री आशुतोष मिश्रा मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र में मामूर थे। मुखबीर खास की सूचना मिली कि 1.मु0अ0सं0 215/20 धारा 307 भादवि -थाना सरायमीर आजमगढ़ व 2. मु0 अ0 सं0 216/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरायमीर आजमगढ़ से सम्बन्धित अभियुक्त फैशल पुत्र अतिकुर्रहमान सा0 कोटिला थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ संजरपुर के पास खड़ा है कही जाने की फिराक में है यदि शीघ्रता की जाये तो अभियुक्त को पकड़ा जा सकता है। मुखबीर की इस सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए मौजूदा पुलिस टीम मौके पर पहुँच कर अभियुक्त उपरोक्त को पुलिस मुठभेड़ कुवर नदी वहद ग्राम संजरपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की तलाशी ली गयी तो अभियुक्त के पास से एक अदद तमन्चा 315 बोर व 01 अदद खोखा कार0 315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

आपराधिक इतिहास-

1.फैशल पुत्र अतिकुर्रहमान सा0 कोटिला थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

- 1.मु0अ0सं0 215/20 धारा 307 भादवि -थाना सरायमीर आजमगढ़।
2. मु0 अ0 सं0 216/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरायमीर आजमगढ़।
3. मु0 अ0 सं0 27/20 धारा 41/411/414 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
4. मु0 अ0 सं0 28/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
- 5.मु0 अ0 सं0 33/18 धारा 379/411/420/467/468/471 भादवि थाना रानी की सराय आजमगढ़।
- 6.मु0 अ0 सं0 151/17 धारा 379/411/420/467/468/471 भादवि थाना रानी की सराय आजमगढ़।
- 7.मु0 अ0 सं0 113/17 धारा 379 भादवि थाना रानी की सराय आजमगढ़।
- 8.मु0 अ0 सं0 नील/17 धारा 41/411 भादवि थाना रानी की सराय आजमगढ़।

थाना सरायमीर

गैगैस्टर एक्ट का एक नफर वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 11.11.2020 को प्र0 नि0 श्री अनिल कुमार सिंह थाना सरायमीर आजमगढ़ मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबीर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 217/20 धारा 3 (1) गैगै0 एक्ट से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्त ऋषिकपूर पुत्र फौजदार सा0 पारा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को उसके घर से समय करीब 7.05 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है।

आपराधिक इतिहास-

1.ऋषिकपूर पुत्र फौजदार सा0 पारा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

- 1.मु0अ0सं0 223/19 धारा 376 डी/34/504/506 भादवि व ¼ पास्को एक्ट-थाना सरायमीर आजमगढ़।
2. मु0 अ0 सं0 217/20 धारा 3(1) यू पी गैगै0 एक्ट थाना सरायमीर आजमगढ़।

थाना- महाराजगंज

02 वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक- 11.11.2020 को प्रभारी निरीक्षक गजानन्द चौबे के निर्देशन में उ0नि0 हैसिला प्रसाद सिंह मय हमराह अपने देखभाल क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास की सूचना मिली कि मु0अ0सं0 224/2020 धारा 147 , 149, 323, 352, 452,308, 504, 304, 325, 506 IPC से सम्बन्धित आरोपी गण 1. राधेश्याम पुत्र स्व0 सरजू , 2.सुभाष पुत्र राधेश्याम निवासीगण देवारा त्रिपुरारपुर आइमा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ कटान बाजार के पास मौजूद थे, कहीं जाने की फिराक मे खड़े थे। उ0नि0 मय हमराह छिपते छिपाते कटान बाजार के पास आये जहाँ पर दो व्यक्ति खड़े दिखाई दिये। मुखबिर खास इशारा करके हट बढ़ गया पुलिस वाले खड़े हुए व्यक्तियों को एकबारगी घेर कर पकड़ लिये। समय करीब 09. 00 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है।